पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1983
दिनांक-17.08.2025

जोन-पूर्वी / थाना-चिनहट

- **थाना चिनहट पुलिस द्वारा दहेज हत्या में वांछित 02 आरोपी अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही -

थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-425/25 धारा-80(2)/85 बीएनएस ¾ डीपी एक्ट थाना चिनहट लखनऊ से संबन्धित दहेज हत्या की घटना में संलिप्त 1. अजय कुमार रावत पुत्र अशोक कुमार निवासी कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट लखनऊ उम्र 27 वर्ष 2. अशोक कुमार पुत्र स्व0 कुन्हू लाल निवासी कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट लखनऊ उम्र 70 वर्ष व 3. अभियुक्ता राज कुमारी पत्नी अशोक कुमार निवासी कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट लखनऊ उम्र 60 वर्ष को कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट लखनऊ के पास से दिनांक 17.08.2025 गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

02-संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 17.08.2025 को वादी मुकदमा अमरनाथ पुत्र स्व0 शिवपाल निवासी- फलंगा पोस्ट भगौली तीर्थ थाना फतेहपुर बाराबंकी उम्र 50 वर्ष लगभग के द्वारा वादी की पुत्री रूबी देवी उम्र-24 वर्ष लगभग की दहेज की मांग पूरी न करने पर हत्या कर देने के संबन्ध में स्थानीय पर मु0अ0सं0 425/25 धारा-80(2)/85 बीएनएस ¾ डीपीएक्ट थाना चिनहट लखनऊ बनाम-1.अजय कुमार रावत पुत्र अशोक कुमार निवासी कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट लखनऊ उम्र 27 वर्ष 2. अशोक कुमार पुत्र स्व0 कुन्हू लाल निवासी कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट लखनऊ उम्र 70 वर्ष व 3. अभियुक्ता राज कुमारी पत्नी अशोक कुमार निवासी कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट लखनऊ उम्र 60 वर्ष 4.जेठ संजय कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी उपरोक्त 5. देवर शिवा निवासी उपरोक्त नामजद पंजीकृत किया गया।

जिसकी विवेचना एसीपी विभूतिखण्ड द्वारा सम्पादित की जा रही है। घटनास्थल का उच्चाधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया तथा मौके पर फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही किया गया। घटना को संज्ञान लेते हुए उच्चाधिकारीगण के आदेश/निर्देश के क्रम में घटना के सफल निस्तारण/अनावरण हेतु तत्काल प्रभाव से गठित टीमों द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतका की हत्या करने मे संलिप्त अभियुक्तों 1. अजय कुमार रावत उपरोक्त 2. अशोक कुमार उपरोक्त 3. अभियुक्ता राज कुमारी उपरोक्त को दिनांक 17.08.2025 को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

03-अनावरित अभियोग का विवरण:-

1.मु0अ0सं0-425/25 धारा-80(2)/85 बीएनएस ¾ डीपीएक्ट थाना चिनहट जनपद लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अजय कुमार रावत पुत्र अशोक कुमार निवासी कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट लखनऊ उम्र 27 वर्ष
2. अशोक कुमार पुत्र स्व0 कुन्हू लाल निवासी कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट लखनऊ उम्र 70 वर्ष
3. अभियुक्ता राज कुमारी पत्नी अशोक कुमार निवासी कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट लखनऊ उम्र 60 वर्ष

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. उ0नि0 दीपक कुमार पाण्डेय थाना चिनहट जनपद लखनऊ
02. उ0नि0 अभिषेक तिवारी थाना चिनहट जनपद लखनऊ
03. म0उ0नि0 प्रीती अहिरवार थाना चिनहट जनपद लखनऊ
04. का0 पूर्ण सिंह थाना चिनहट जनपद लखनऊ।
05. का0 प्रदीप तिवारी थाना चिनहट जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1982
दिनांक 17.08.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- पी.जी.आई.

- **चार पहिया वाहन चालक द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर, लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर गंभीर चोट पहुंचाना तथा पुलिस टीम द्वारा रोके जाने पर पुलिस टीम पर हाथापाई कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **घटना में प्रयुक्त UP32PZ3317 स्कॉर्पियो वाहन को किया गया सीज।**
- **अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में जनपद लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली आदि में चोरी, लूट, डकैती, अपहरण आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।**

01-कार्यवाही-

थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नियत से 04 पहिया वाहन चालक द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर, लोगो ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला रोकने पर पुलिस के साथ हाथापाई करने वाला 01 शातिर अभियुक्त अक्षय सिंह उर्फ सागर सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी- 50/125 जयनारायण रोड थाना हुसैनगंज लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष को सम्बन्धित मु0अ0सं0 406/2025 धारा 109(1)/121(1)/121(2)/132/281/324(4) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ को देवी खेड़ा रोड में गन्ना अनुसंधान संस्थान पास थाना कैण्ट लखनऊ, हिरासत पुलिस मे लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.08.2025 को आवेदिका नगमा पत्नी श्री राजेश निवासिनी -591/677 बल्देव विहार, दुर्गा मंदिर तेलीबाग थाना पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा वरदानी हनुमान मंदिर के पास वाहन सं0 UP32PZ3317 चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर, जान से मारने की नियत से वादिनी के पति व अन्य दो लोगों को टक्कर मारने देने जिससे सभी लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये व गाडियों में टक्कर मारने तथा मौके पर उपस्थित पुलिस बल द्वारा रोकने पर, सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए भय दिखाकर हाथापाई की गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 406/2025 धारा 109(1)/121(1)/121(2)/132/281/324(4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया ।

घटना के पश्चात अभियुक्त वाहन को लेकर घटनास्थल से भाग निकला था जिस पर थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा घेर घार कर देवीखेड़ा रोड में गन्ना अनुसंधान संस्थान पास थाना कैण्ट लखनऊ में रोका गया। रोके जाने पर अभियुक्त द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए भय दिखाकर हाथापाई की गई जिस पर थाना पीजीआई पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ चालक अभियुक्त अक्षय सिंह उर्फ सागर सिंह उपरोक्त को दिनांक 17.08.2025 को देवी खेड़ा रोड में गन्ना अनुसंधान संस्थान पास थाना कैण्ट लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अक्षय सिंह उर्फ सागर सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी- 50/125 जयनारायण रोड थाना हुसैनगंज लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष बताया। चूँकि उक्त व्यक्ति ही मुकदमा उपरोक्त में वाहन सं0 UP32PZ3317 का चालक अभियुक्त है।

लिहाजा बाद इत्मिनान अभियुक्त अक्षय सिंह उर्फ सागर सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी- 50/125 जयनारायण रोड थाना हुसैनगंज लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार को सीज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-घायलों का विवरण-

1. राजेश पुत्र रमेश सिंह निवासिनी -591/677 बल्देव विहार, दुर्गा मंदिर तेलीबाग थाना पीजीआई लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष
2. आनंद प्रकाश वर्मा पुत्र स्व0 ओमप्रकाश वर्मा निवासी कुम्हार मंडी तेलीबाग थाना पीजीआई लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष
3. एक व्यक्ति अज्ञात उम्र करीब 32 वर्ष/ पुरूष

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अक्षय सिंह उर्फ सागर सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी- 50/125 जयनारायण रोड थाना हुसैनगंज लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष।

05-अभि0 अक्षय सिंह उर्फ सागर सिंह का व्यवसाय-

उदयगंज में पूड़ी सब्जी की दुकान (प्रसिद्ध पूड़ी भण्डार के नाम से)

06-अभि0 अक्षय सिंह उर्फ सागर सिंह का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0-406/2025धारा109(1)/121(1)/121(2)/132/281/324(4)बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ
2. मु0अ0सं0 96/2018 धारा 392/41 भादवि थाना पी0जी0आई0 जनपद लखनऊ
3. मु0अ0स0-21/2028 धारा 120बी/364/395/397/412 भादवि थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी
4. मु0अ0स0-38/2018 धारा 147/148/149/307/ भादवि थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी
5. मु0अ0सं0- 42/2018 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी
6. मु0अ0सं0- 436/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना बछरावां जनपद रायबरेली
7. मु0अ0सं0 – 56/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ
8. मु0अ0स0- 101/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ
9. मु0अ0सं0- 146/2023 धारा 323/504 भादवि थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ

07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना पीजीआई -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह , थाना पीजीआई लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री दिनकर वर्मा, थाना पीजीआई लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री रवि यादव, थाना पीजीआई लखनऊ।
4. का0 पवन कुमार, थाना पीजीआई लखनऊ।
5. का0 कमलेश कुमार, थाना पीजीआई लखनऊ।